भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4631**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

ओडिशा में उर्वरकों की आपूर्ति

4631. श्री अनन्त नायक:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश भर में किसानों को रासायनिक और जैविक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ओडिशा में उनका क्या प्रभाव पड़ा है;
(ख) सरकार द्वारा ओडिशा में उर्वरक कारखानों का विस्तार करने, उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं;
(ग) क्या सरकार कृषि में वहनीय और पर्यावरण अनुकूल उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष नीति लागू कर रही है और यदि हां, तो इससे किसानों को क्या लाभ होगा;
(घ) क्या सरकार उर्वरक राजसहायता को सीधे किसानों के खातों में स्थानांतरित (डीबीटी) करने के लिए कोई नई पहल कर रही है और इससे किसानों को अब तक कितना लाभ हुआ है; और
(ड.) क्या सरकार ओडिशा में नई उर्वरक उत्पादन इकाइयां स्थापित करने की योजना बना रही है ताकि स्थानीय किसानों को लाभ मिल सके और रोजगार को बढ़ावा मिल सके?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): ओडिशा राज्य सहित सभी राज्यों में उर्वरकों अर्थात यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की पर्याप्त और समय पर आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। ऑर्गेनिक उर्वरकों के मामले में, भारत सरकार ऑर्गेनिक उर्वरकों की आवश्यकता का आकलन नहीं करती है। तथापि, भारत सरकार अपनी स्कीमों के माध्यम से ऑर्गेनिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देती है।

i. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है;

iv. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि अधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने की सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

कृषि सांख्यिकी हेतु एकीकृत पोर्टल (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग) की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ओडिशा राज्य में कृषि उत्पादन वर्ष 2022-23 में 90.73 लाख टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 94.32 लाख टन हो गया है।

(ख): देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) क्षमता का नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तालचेर इकाइयों को पुनर्जीवित करने का अधिदेश दिया है। यह संयंत्र ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर में अवस्थित है। वर्तमान में, संयंत्र निर्माणाधीन चरण में है। इसके अलावा, पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में, अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन बढ़ाने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को मान्यता दी गई/रिकार्ड में लिया गया है। वर्ष 2022-23, वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 (दिनांक 26.03.2025 तक) में ओडिशा राज्य में उर्वरकों की मांग, उपलब्धता और बिक्री संबंधी जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग): सरकार ओडिशा राज्य सहित प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के एक घटक, परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से देश में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। पीकेवीवाई स्कीम ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को शुरू से अंत तक अर्थात उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और क्लस्टर आधारित उपागम में विपणन तक की सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम का प्राथमिक फोकस एक क्लस्टर में ऑर्गेनिक क्लस्टरों को बनाना है जिसमें आदिवासी और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें आपूर्ति श्रृंखला बनाने में मदद मिल सके।

पीकेवीवाई के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को ऑर्गेनिक क्लस्टरों में 3 वर्षों के दौरान 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से ऑर्गेनिक उर्वरकों सहित ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म ऑर्गेनिक आदानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों को सीधे 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, विपणन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन आदि के लिए 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण के लिए 3,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम के तहत एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र का लाभ उठा सकता है। वर्ष 2015-16 से, पीकेवीवाई के तहत, ओडिशा राज्य के लिए 70026 किसानों को शामिल करते हुए ऑर्गेनिक खेती के तहत 45800 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कुल 92.73 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

इसके अलावा, सरकार ने 1451.84 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक) के कुल परिव्यय के साथ गोबरधन स्कीम के तहत संयंत्रों में उत्पादित ऑर्गेनिक उर्वरकों अर्थात किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम)/फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को अनुमोदित किया है, जिसमें अनुसंधान गैप फंडिंग आदि के लिए 360 करोड़ रुपये का कोष शामिल है। सरकार की इन पहलों से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान होने की संभावना है जिससे रासायनिक उर्वरकों का अति उपयोग कम होगा।

(घ): उर्वरकों में डीबीटी प्रणाली में खुदरा विक्रेता द्वारा लाभार्थी को बिक्री केंद्र (पीओएस) की मशीनों के माध्यम से वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को सब्सिडी का 100% भुगतान करना शामिल है। क्रेताओं की पहचान आधार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से सत्यापित की जाती है।

(ड़): देश में स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) क्षमता का नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तालचेर इकाइयों को पुनर्जीवित करने का अधिदेश दिया है। यह संयंत्र ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर में स्थित है। वर्तमान में, संयंत्र निर्माणाधीन चरण में है। इसके अलावा, पीएण्डके उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में, अनुरोधों के आधार पर, उत्पादन बढ़ाने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस सब्सिडी स्कीम नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत मान्यता दी गई/रिकार्ड में लिया गया है।

****

यह अनुलग्नक दिनांक 28.03.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.4631 के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

अनुलग्नक-क

ओडिशा

उर्वरकों की वर्ष-वार मांग, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	वर्ष	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री	मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	**2024-25 (26.03.25 तक)**	5.97	8.02	6.56	2.84	2.82	2.54	0.84	1.11	0.76	2.73	4.03	3.23
2	**2023-24**	5.46	7.70	5.84	2.33	3.12	2.74	1.03	0.93	0.66	2.80	3.16	2.42
3	**2022-23**	5.84	7.08	5.60	2.69	2.55	1.94	1.35	0.84	0.61	3.05	3.26	2.63

1 सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>मांग

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री